335
12/9/12

खण्ड - 9

सत्यमेव जयते

संख्या - 22, 23

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

नवम् सत्र

(भाग-1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि : 27 जुलाई, 1988 ई०
वृहस्पतिवार, तिथि : 28 जुलाई, 1988 ई०

सरकार के जवाब को चुनौती देता हूँ। कुम्हरी नदी में जो पुल बन रहा है उसका कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है। इस संबंध में सरकार क्या कहना चाहती है।

श्री दिलीप कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में कहा कि कार्य आंशिक रूप में प्रगति पर है फिर भी माननीय सदस्य चुनौती देते हैं या आशंका है तो मैं इसकी जांच करा लूंगा और कार्य 89 तक पूरा करेंगे।

श्री सोनाधारी : किससे जांच करायेगें?

श्री दिलीप कुमार सिंह : अधीक्षण अभियंता से करा देंगे।

अधूरे कार्य को पूरा करना

3149. श्री गणेश प्रसाद यादव : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत मरौना प्रखंड स्थित बसखोड़ा कोशी बांध से मधुबनी जिला के सीमा तक 2 कि० मी० पथ की स्वीकृति आर० एल०ई०जी०पी० मद से विधायक कोटा द्वारा वर्ष 1986-87 में हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि बसखोड़ा बांध से लेकर 1 कि०मी० में मिट्टी नहीं दिया गया है जिससे आवागमन भी बंद है किन्तु अंतिम विपत्र का भुगतान मई 1987 में कर भी दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जांच निगरानी विभाग से कराकर अधूरे कार्य को पूरा कराते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि ''हां', तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

श्री दिलीप कुमार सिंह : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। बसखोड़ा में ग्रामीणों के आपसी तनाव के कारण 700 फीट पथभाग में मिट्टी कार्य नहीं हो सका है। इसके कारण आवागमन में कठिनाई हैं शेष अंश में मिट्टी कार्य पूरा हो गया है। पथ विभागीय रुप में बन रहा हैं अत: अंतिम रूप से विपत्र को भुगतान का प्रश्न नहीं है।

3. उपरोक्त के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि बसखोड़ा गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने सड़क की जमीन को अतिक्रमित कर लिया है और सड़क पर काम करने वाले इंजीनियर की मिलीभगत के कारण 700 फीट सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है?

श्री दिलीप कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के जवाब में कहा कि गांव के आपसी तनाव के कारण उस सड़क का 700 फीट/मिट्टी का कार्य छुटा हुआ है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करुंगा कि वे भी स्वयं इसमें इंटरेस्ट लें और आपसी सहयोग करावें ताकि सरकार को सड़क बनाना चाहती है वह बन सके।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार शहरों में अतिक्रमण हटा देती है तो गांवों में ऐसे अतिक्रमणकारियों पर सरकार कार्रवाई कर उस सड़क को बनाना चाहती है?

श्री दिलीप कुमार सिंह : अगर माननीय सदस्य सरकार को सूचना देंगे कि कौन-कौन अतिक्रमणकारी हैं तो सरकार निश्चित रुप से कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष : आपने कहा कि चूंकि विवाद होने के कारण 700 फीट सड़क नहीं बनाया जा सका है तो उसका निपटारा करने के लिये उस विवाद को हटाकर सड़क बनाने का विचार सरकार रखती है, यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री दिलीप कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 700 फीट मिट्टी गांव में नहीं मिलने के कारण सड़क पूरी नहीं हो पा रही है लेकिन निश्चित रूप से मिट्टी दिलवाकर पूरा करेंगे।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सब जगह मिट्टी मिली और 700 फीट में मिट्टी नहीं मिली यह बात बेतुकी है।

श्रीमती हेमलता यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क मेरे गांव की है। मैं मंत्री से जानना चाहती हूँ कि कभी भी ग्रामीण विकास इस सड़क को बनाने का प्रयास किया?

श्री अनुपलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था है। बसखोड़ा गांव है हेमलता जी का क्षेत्र है विनायक जी का और प्रश्न किया है गणेश प्रसाद यादव जी ने। समझ में नहीं आता है कि क्या बात है?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनायक प्रसाद यादव और श्रीमती हेमलता यादव में विवाद हो जाने के कारण श्री गणेश प्रसाद यादव की पंचायती के रूप में यह प्रश्न लाना पड़ा।

श्रीमती हेमलता यादव : हमारी श्री विनायक प्रसाद यादव से कोई मतभेद नहीं है। उनकी भी चिन्ता है और हमारी भी चिन्ता है कि यह सड़क बन जाय। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या यह बात सही है कि सरकारी सड़क पर सड़क का निर्माण नहीं होकर प्राइवेट जमीन पर सड़क का

निर्माण कराया जा रहा है? क्या सरकारी जमीन पर ही ईंट विछाकर आगे की कार्रवाई करेगी?

श्री दिलीप कुमार सिंह : मैंने उत्तर में कहा है कि यह सड़क निर्माणाधीन हैं सड़क-2 किलोमीटर में बनना था

अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने दो प्रश्न उठा दिया। एक तो उन्होंने कहा कि इसके निर्माण का प्रयत्न ही नहीं किया गया और दूसरा उठाया कि जिस जगह पर सड़क बनने की बात थी उसकी छोड़ कर नहीं सड़क बनाने की बात कर रहे हैं जिसके कारण निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

श्री दिलीप कुमार सिंह : ऐसी सूचना सरकार को नहीं है लेकिन जब वे कह रही हैं कि दूसरी जगह सड़क बनायी जा रही है तब मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या यह बात सही है कि जब निर्माण हो रहा है उसमें श्रीमती हेमलता यादव के भतीजा आव्सट्रक्शन डाल रहे हैं, यदि हां तो क्या वे अपने भतीजा को समझा बुझा कर ऐसा प्रयत्न करेंगी कि वह सड़क बन जाय?

श्रीमती हेमलता यादव : मैंने माननीय सदस्य के कथन की चुनौती देती हूँ मेरा कोई भतीजा नहीं है जो अड़चन डाल रहा है। सच्चाई है कि सड़क की जमीन रहते हुए प्राइवेट जमीन पर सड़क बनायी जा रही है।

अध्यक्ष : अब बात समझ में आ गयी कि माननीय सदस्य श्री विनायक प्रसाद यादव ने यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा, श्रीमती हेमलता जी ने यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा श्री गणेश प्रसाद यादव ने यह प्रश्न पूछा।

श्रीमती हेमलता यादव : सरकारी सड़क पर न बनाकर प्राइवेट

जमीन पर सड़क बनायी जा रही है उसके लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है?

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि जब आप कह रही हैं तो वे इस बात की जांच करा लेंगे। अब आप सहयोग करें कि वह सड़क बन जाय।

अभिकर्त्ता के विरुद्ध कार्रवाई

3150. श्री मिथिलेश कुमार पांडेय : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड के विटु हर ग्राम में एन० आर० ई० पी० द्वारा बन रहे सड़क पर 1986-87 में बिना मिट्टी कार्य किये हुए ही विपत्र का भुगतान कर दिया गया है;

(2) यदि उपयुक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार भुगतान देने वाले पदाधिकारी एवं भुगतान लेनेवाले अभिकर्त्ता पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

श्री दिलीप कुमार सिंह : खण्ड (1) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1986-87 में प्रश्नगत योजना की प्राक्कलित राशि 62,110 पर कार्य स्वीकृत किया गया। अभिकर्त्ता को 37,500/- रु० का अग्रिम दिया गया है गांव के हिस्से में मिट्टी नहीं मिलने का कारण पूरा कार्य नहीं कराया गया। अभिकर्त्ता द्वारा मो० 26830 रु० का ही कार्य कराया गया। शेष राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

खण्ड (2) प्रश्न के खण्ड (1) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।